रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216135
CG-DL-E-13022020-216135

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
No. 595] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020

का.आ.653 (अ).- अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व (एनएसटीआर) आंध्र प्रदेश के नाल्लमारा पर्वतमाला (पूर्वी घाटों की शाखा) में स्थित है। कोर और बफर के साथ बाघ रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 3727.82 वर्ग किलोमीटर है जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, कुरनूल और गुंटूर जिलों में फैला है। बाघ रिज़र्व के क्षेत्र का गठन दो वन्यजीव अभयारण्य अर्थात् राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य (जीबीएम) करते हैं। राज्य के द्विभाजन के बाद, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व कृष्णा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित हो गया है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व नदी के दक्षिणी भाग में है और तेलंगाना राज्य में अम्राबाद बाघ रिज़र्व उत्तरी भाग में है। इस अधिसूचना में आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए प्रस्तावित है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व (एनएसटीआर), आंध्र प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी घाटों के नाल्लमारा पर्वतमाला में जैव विविधता, लुप्तप्राय वनस्पतियों और इससे संबंधित जीवजन्तु के लिए वास स्थान है। यह बाघ रिज़र्व दक्कन पठार (6डी, 6ई) की विशिष्ट भौतिक और जैविक विशेषताओं का प्रतीक है। बाघ रिज़र्व का अधिकांश भाग पठारों, रिज़स्, ज़ोर्जस् और गहरी घाटियों के साथ पहाड़ी है जो बांस और घास की कम उपज के साथ उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वनों का आश्रय प्रदान करता है। दो अभयारण्य अर्थात्, राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् अभयारण्य बाघ रिज़र्व बनाते हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क जी.ओ. एमएस. सं. 84 ईएफएस एवं टी (फॉर-III) विभाग, दिनांक 27 जून, 1998 को राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य को अंतिम अधिसूचना के लिए जारी किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क जी.ओ. एमएस. सं. 81 ईएफएस एवं टी (फॉर-III) विभाग, दिनांक 27 जून, 1998 को गुंडला ब्रह्मेश्वरम् अभयारण्य को अंतिम अधिसूचना के लिए जारी किया गया है;

और, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की घोषणा के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभयारण्य के अंतर्गत और आदिवासियों और अन्यों को नदी से प्राप्त होने वाली सुविधाओं और अन्य बाहरी विकास क्रियाकलापों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के मेमो सं. 11747/एफओआर-11(2)12006, ईएफएस एवं टी (एफओआर-III) विभाग, दिनांक 13 मार्च, 2012 के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों की सुरक्षा व बचाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सम्बद्ध विभागों के परामर्श से संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की पहचान करने के निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों के जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और अभयारण्य के बफर क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा की गई;

और, बैठक में यह चर्चा की गई थी कि बफ़र ज़ोन क्षेत्र बाघ रिज़र्व के लिए अच्छा आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है और वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करता है जो मूल क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। बाघ रिज़र्व को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और मूल क्षेत्र पर दबाव को कम करने और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन प्रस्तावित किया गया है। जहां भी बाघ रिज़र्व की राजस्व भूमि से समीप "रिज़र्व वन" नहीं हैं, उन्हें पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की आवश्यकता है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अंतर्गत चार वन संभाग अर्थात्, अतामाकुर, मरकापुर, गिद्दुरुर और नंदयाल वन्यजीव संभाग आते हैं। नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन

का कुछ भाग कृषि क्षेत्र है। यह कृषि भूमि सामान्य रूप से पट्टा भूमि है और वैध रूप से रहने वालों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मुख्य कृषि फसलें मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, मिर्च, कपास, धान आदि हैं। पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में स्थित कृषि क्षेत्र में शाकाहारी जानवर जैसे हिरण और जंगली सूअर और इनकी खोज में मांसाहारी जानवर अधिक देखे जाते हैं। इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन घोषित करने पर, वन्यजीवों और इसके वास को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। ग्रामीणों विशेषतः उन किसानों की आजीविका क्रियाकलाप, जिनकी भूमि पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के अंतर्गत आती हैं, प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वन क्षेत्र के बाहर राजस्व भूमि में चल रही कृषि प्रथाओं और अन्य पारंपरिक आजीविका क्रियाकलापों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व प्रायद्वीप भारत के दक्कन पठार में विभिन्न वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के साथ जैव विविधता का भंडार है। बाघ रिज़र्व की स्थलाकृति विभिन्न छोटे-बड़े वासों के साथ विभिन्न प्रकार के जंगली पशुओं को आश्रय देने में सक्षम बनाती है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व विशिष्ट दक्कन पठार (6डी, 6ई) की वनस्पति और जीवजन्तु की प्रजातियों को दर्शाता है। अभयारण्यों में पहाड़ी क्षेत्र के साथ पठारों, रिज़स्, ज़ोर्जस् और गहरी घाटियों की विशिष्टता है, जो बांस और घास की कम उपज के साथ उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती वनों का आश्रय प्रदान करती है। संरक्षित क्षेत्र वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों और पर्वतारोहियों से युक्त समृद्ध वनस्पति विविधता से संपन्न है। औषधीय पौधों की 353 प्रजातियों के साथ घास की 29 प्रजातियों और 149 परिवारों के लगभग 1521 एंजियोस्पर्म टक्सा को प्रलेखित किया गया है। यहां सबसे मुख्य वृक्ष *टर्मिनलिया टोमेंटोसा*, *एनोगाइसस लैटिफोलिया*, *क्लोरोक्सिलीन स्वेटेनिया*, *हार्डविकिया बिनाटा*, *पेटरोकार्पस मार्सुपियम*, *लैनिआ ग्रांडिस*, *बोसवेलिया सेराटा*, *डालबरजिया पैनिकुलाटा*, *ज़िज़िफ़स ज़ाइलोपाइरस*, *लेगरोस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा*, *टर्मिनालिया अर्जुन,* आदि पाए जाते हैं। यहां नाल्लमालाई में सिर्फ कुछ स्थानिक पौधे जैसे *एंड्रोग्राफिस नल्लमालयाना*, *एरिओलेना लुशिंगटनी*, *क्रोटलारिया मदुरेंसिस वर्. कुरनूलिया*, *डिक्लिप्टेरा बेडडोमि* और *प्रेमा हैमिल्टनी*, आदि पाए जाते हैं;

और, राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य पशुओं, पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, सरीसृपों और उभयचरों की बृहत् विविधता को आश्रय प्रदान करता है। संरक्षित क्षेत्र में कई चरिसमेकटि पशुओं जैसे बाघ, तेंदुआ, रीछ, जंगली कुत्ता, सियार, रेटेल, साही, विशाल गिलहरी, माउस डियर, चौसिंगा मृग, सांभर, चित्तीदार हिरण, नीलगाय और बनैला सूअर का वास है। इस बाघ रिज़र्व में जीवजन्तु प्रजातियों में स्तनधारी की 50 प्रजातियाँ, पक्षियों की 200 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 54 प्रजातियाँ, उभयचरों की 18 प्रजातियाँ, मछलियों की 5 प्रजातियाँ, तितलियों की 84 प्रजातियाँ, मोथ की 57 प्रजातियाँ, कोलियप्ट्रेन भृंग की 45 प्रजातियाँ, डैमस्लेफ्लेइस् की 30 प्रजातियाँ, आदि प्रलेखित हैं। बाघ रिज़र्व में पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, कीड़े-मकोड़ों की बृहत् विविधता की उपस्थिति इस भू-दृश्य की जैव-विविधता का प्रमाण है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उप-धारा (1) तथा धारा 3 की उप-धारा (2) एवं उप-धारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल, प्रकाशम और गुंटूर जिले के नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 2149.68 वर्ग किलोमीटर है। (कृष्णा नदी और तेलंगाना के साथ अंतरराज्यीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।)

(2) नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व का मानचित्र **उपाबंध- II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है ।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) पर्यटन;
(iv) आदिवासी कल्याण;
(v) कृषि;
(vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(vii) पंचायती राज;
(viii) राजस्व;
(ix) ग्रामीण और शहरी विकास;
(x) उद्योग;
(xi) नगरपालिका;

(xii) एपीटीआरएएनएससीओ;

(xiii) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xiv) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। महायोजना में प्रस्तावित और विद्यमान भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा

संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, शोर आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहि:स्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहि:स्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	विकासात्मक गतिविधियों के	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	लिए विस्फोटकों का उपयोग।	
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी इस अधिसूचना उपबंधों को प्रभावी निगरानी के लिए एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण इंजीनियर, संबंधित जिला, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iv)	परियोजना अधिकारी, संबंधित आईटीडीए	सदस्य;
(v)	अधीक्षण अभियंता, आरएंडबी, संबंधित जिला	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता और पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	संबंधित जिले के सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान	सदस्य;
(viii)	संयुक्त निदेशक, कृषि, संबंधित जिला	सदस्य;
(ix)	जिला पर्यटन अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य;

(x)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, संबंधित जिला।	सदस्य;
(xi)	जिला वन्यजीव वार्डन, संभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/86/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

(ए से डी):- पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानचित्र में दर्शाए गए वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में स्टेशन 'ए' (कॉम्प. 644 का दक्षिण पश्चिम कोण) से आरंभ होती है। स्टेशन ए का जीपीएस निर्देशांक 15.73300उ, 78.61000पू है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 646, 647, 648, 649 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 649 के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँचती है। इसके बाद रेखा वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 649, 650, 651, 653 और 652 की पश्चिमी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है यह कम्पार्टमेंट 652 के उत्तरी कोण पहुँचकर और इसके अतिरिक्त वेलगोडे श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 653, 656 और बैरलुटी श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 697, 698, 700, 701 की उत्तरी सीमा के साथ 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिण और पूर्वी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 747 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 747 के उत्तर-पश्चिम कोण में कुरनूल-गुंटूर सड़क पर बिन्दु 'बी' से मिलती है। स्टेशन 'बी' का जीपीएस निर्देशांक 15.86642उ, 78.69979पू है।

इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 748, 749, 750, 832, 833, 834, 835 के साथ नागालुटी श्रेणी के गुव्वालाकुन्ता 'सी' रिज़र्व वन की बाहरी रिज़र्व वन सीमा 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 835 के उत्तरी कोण से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अधिसूचित बफर से और कम्पार्टमेंट संख्या 816, 821, 822, 823, 824 की दक्षिणी सीमा के साथ 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और मानचित्र पर दर्शाए गए स्टेशन 'सी' से मिलती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 824, गुव्वालाकुन्ता-बी रिज़र्व वन, अतमाकुर श्रेणी के दक्षिण पश्चिम कोण पर है। स्टेशन 'सी' के जीपीएस निर्देशांक 15.97570उ, 78.50460पू है।

इसके बाद सीमा रेखा अतमाकुर श्रेणी के नन्दीकोटकुर रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 824, 797, 793, 794 की पश्चिमी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तरी दिशा में जाती है और मानचित्र में दर्शाए गए बिन्दु 'डी' पहुँचती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 794 के उत्तर पश्चिम कोण पर है। स्टेशन 'डी' के जीपीएस निर्देशांक 16.05913उ, 78.49756पू है।

(डी से ई):- पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कृष्णा नदी के केन्द्र रेखा (मध्य रेखा) के साथ डी से ई तक जाती है जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलांगना की अन्तर्राज्यीय सीमा के बीच अर्थात् दक्षिणी भाग पर आंध्र प्रदेश, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के बीच सीमा और कृष्णा नदी के उत्तरी भाग पर तेलांगना राज्य के आमराबाद बाघ रिज़र्व है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा श्रीशैलम, जी.वी पल्ली और वी.पी दक्षिणी श्रेणी में आड़े-तिरछे ढंग में बिन्दु 'डी' से कृष्णा नदी के मध्य के साथ मुड़कर और नागार्जुनसागर जलाशय को छूती है और इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी के मध्य के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है यह बिन्दु 'ई' अर्थात् वी.पी दक्षिण श्रेणी के टुम्मरकोटा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 88 के उत्तरी भाग से 1 किलोमीटर पहुँचती है। स्टेशन 'ई' के जीपीएस निर्देशांक 16.61847उ, 79.46114पू है।

(ई से जी): इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ और कम्पार्टमेंट संख्या 88 की पूर्वी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिणी दिशा की ओर बिन्दु ई तक जाती है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर और इसके अतिरिक्त दक्षिण और कम्पार्टमेंट संख्या 87 की पूर्वी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में मुड़ती है और मानचित्र में दर्शाए गए स्टेशन 'एफ' से मिलती है। स्टेशन 'एफ' के जीपीएस निर्देशांक 16.52433उ, 79.44743पू है।

इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन कम्पार्टमेंट संख्या 87, 86 और 85 के दक्षिण राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा के '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पश्चिमी दिशा की ओर बिन्दु एफ तक जाती है। इसरे बाद वी.पी दक्षिण श्रेणी, पसुवेमुला रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 83 के उत्तर पूर्व कोण से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है।

इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दक्षिण की ओर जाती है और कन्डलागुन्टा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 83, 77, 75, 70 और 69 और वी.पी दक्षिण श्रेणी के गन्गुलागुन्टा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 68 और 67 के पूर्व पर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है यह कम्पार्टमेंट संख्या 64 की पश्चिमी सीमा को छूती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, कम्पार्टमेंट संख्या 64 की पश्चिमी सीमा के साथ होते हुए जाती है जो कि नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व का अधिसूचित बफर है। इसके बाद यह दक्षिण में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 64 की उत्तर पश्चिम सीमा, कम्पार्टमेंट संख्या 63 की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के साथ विभिन्न दिशाओं में मुड़ती है और स्टेशन 'जी' से मिलती है जो कि मानचित्र में दर्शाए गए गुन्टुर और प्रकाशम जिलों की जिला सीमा पर स्थित है। स्टेशन 'जी' के जीपीएस निर्देशांक 16.23081उ, 79.33778पू है।

(जी से आई): इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा प्रकाशम जिला के मरकापुर संभाग में स्टेशन 'जी' से आरंभ होती है और नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अधिसूचित बफर और मरकापुर रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 200, 199, 185, 182 की पूर्वी सीमा, इएनबी-XI रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 174, 169, वाई.पालेम श्रेणी में इएन खण्ड X रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 168, 167, 175 के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और दक्षिण की ओर मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 175 और 166 की दक्षिणी सीमा के साथ मुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण की ओर जाती है और राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से '5' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है और वाई.पालेम श्रेणी में वाई. पालेम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 160 की पश्चिमी सीमा पर बिन्दु को छूती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 160 और 161 की पश्चिमी सीमा को छूती हुई अधिसूचित बफर के साथ उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 162 और 163 की सीमाओं के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, पश्चिम की ओर मुड़कर और वाई.पालेम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 164, 165 और 159 की सीमा के साथ मुड़ती है और अधिसूचित बफर के कम्पार्टमेंट संख्या 159 के दक्षिण पश्चिम कोण पर बिंदु 'एच' पहुँचती है। स्टेशन 'एच' के जीपीएस निर्देशांक 15.97874 उ, 79.26384 पू है।

बिन्दु 'एच' से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा राजस्व भूमि में राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 5 किलोमीटर में जाती है यह मानचित्र में दर्शाए गए बिन्दु "आई' में अधिसूचित बफर की सीमा पहुँचती है। बिन्दु 'आई' के जीपीएस निर्देशांक 15.88992 उ, 79.04887पू है।

(आई से के): इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 54 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा में बिन्दु 'आई' तक जाती है और दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 55 और 56 की उत्तरी सीमा और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 315,316,317 एवं 318 के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पूर्वी दिशा में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 318 के उत्तर पूर्व कोण पर बिन्दु 'जे' से मिलती है। बिन्दु 'जे' के जीपीएस निर्देशांक 15.84889 उ, 79.17745पू है।

इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण की ओर जाती है और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V में कम्पार्टमेंट संख्या 318 की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर, पश्चिम में मुड़ती है और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 318, 317, 316 और 315 की दक्षिणी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है और इसके अतिरिक्त ईएनबी VI बी रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 314 और 57 की दक्षिणी सीमा और राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित बफर से होते हुए दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 58 के साथ जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 311, 269 एवं 270 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अधिसूचित बफर की सीमा के साथ जाती है और कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 270 की पश्चिमी सीमा, मरकापुर श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 267 और 266 की दक्षिणी सीमा के साथ मुड़ती है और दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 45, 44, 43 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'के' से मिलती है। स्टेशन 'के' के जीपीएस निर्देशांक 15.79700उ, 78.91500पू है, जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र में दर्शाया गया है कि राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित बफर की सीमा से मिलती है।

(के से एल) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा गिद्दलुर संभाग के कुमबुम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 822 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 821 के दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'के' तक जाती है और इसके अतिरिक्त गिद्दलुर संभाग के तुरीमेल्ला श्रेणी के इएनबी-III के कम्पार्टमेंट संख्या 825, 824 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 823, 814 की पूर्वी सीमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में जाती है और अधिसूचित गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 807 की उत्तरी सीमा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 805, 755 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा में प्रस्तावित बफर सीमा के साथ जाती है और ईएनबी-II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 756, 757 की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा रेखा ईएनबी-II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 757 के दक्षिणी सीमा और ईएनबी-II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 757 की पश्चिमी सीमा भी के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है और ईएनबी -II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 754 की दक्षिणी सीमा को छूती है और ईएनबी-II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 753 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह उत्तरी दिशा की ओर मुड़कर और ईएनबी-II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 753, अम्बावरम रिज़र्व वन के 792, ईएनबी-II रिज़र्व वन के 791 की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़ती है। इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 790 की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में जाकर और गुण्डला

ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 762 को छूती है। इसके बाद सीमा गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा और गिद्दलुर संभाग के अम्बावरम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 762, 761,763,764, 765 , 759 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 758 के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण-पश्चिमी दिशा में जाती है और गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 674 की पूर्वी सीमा को छूती है। इसके बाद सीमा रेखा गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा और गिद्दालुर संभाग के गिद्दालुर श्रेणी के उय्यालावाडा एक्स. रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 668, 657, 658, 659, 645, 646, 647 की पूर्वी सीमा, उय्यालावाडा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 636 और 637 के साथ दक्षिणी दिशा में आड़े-तिरछे ढंग में जाती है और बिन्दु 'एल' से मिलती है। बिन्दु 'एल' के जीपीएस निर्देशांक 15.19865 उ, 78.86796पू है।

(एल से एम) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 637,638, 634, 633 की दक्षिणी दिशा के साथ पश्चिमी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एल' तक जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 632 के दक्षिण पश्चिमी कोण बिन्दु में मिलती है और बिन्दु 'एम' से मिलती है। बिन्दु 'एम' के जीपीएस निर्देशांक 15.18359 उ, 78.74258 पू है।

(एम से एन) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा गिद्दलुर संभाग के गिद्दलुर श्रेणी के उय्यालावाडा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 631,641, 653 और 663 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एम' तक जाती है और बिन्दु 'एन' से मिलती है। बिन्दु 'एन' के जीपीएस निर्देशांक 15.29578 उ, 78.73825 पू है।

(एन से ओ) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल संभाग के चलामा श्रेणी के सिरिवेल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 481, 478, 477, 474, 470 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एन' तक जाती है और बिन्दु 'ओ' से मिलती है। बिन्दु 'ओ' के जीपीएस निर्देशांक 15.30093 उ, 78.63349 पू है।

(ओ से पी) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा सिरिवेल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 470, 471, 472 की पश्चिमी सीमा और सिरिवेल एक्स. रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 503, 504 और 505 और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 509 की दक्षिणी सीमा और ननदयल रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 508 की पश्चिमी सीमा और इसके बाद ननदयल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 507, 506 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 506 की दक्षिणी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तरी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'ओ' तक जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 506, 536, 537 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'पी' से मिलती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 566 का उत्तर पश्चिम कोण है। बिन्दु 'पी' के जीपीएस निर्देशांक 15.46261 उ, 78.62339 पू है।

(पी से क्यू): इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल श्रेणी (महानंदी मंदिर क्षेत्र) के कम्पार्टमेंट संख्या 565 की पश्चिमी सीमा के साथ '5' मीटर की चौड़ाई के साथ छोटी दूरी में उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिशा के बिन्दु 'पी' तक जाती है और बिन्दु 'क्यू' से मिलती है। बिन्दु 'क्यू' के जीपीएस निर्देशांक 15.47375 उ, 78.62659 पू है।

(क्यू से ए) : इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल श्रेणी के ननदयल एक्स. – II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 538 और 539 की दक्षिणी सीमा के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'क्यू' तक जाती है। इसके बाद सीमा रेखा ननदयल श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 539 और 540 की पश्चिमी सीमा और ननदयल संभाग (जो कि ननदयल और आत्मकुर संभागों के जंक्शन बिन्दु भी है) के बंदी आत्मकुप श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 541, 542, 598, 599, 600, 601, 602, 603ए, 604 और 605 के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 640, 641, 642 की पश्चिमी सीमा के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और पश्चिमी दिशा में मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 643 की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु 'ए' से मिलती है जो कि मानचित्र में आरंभिक बिन्दु दर्शाया गया है।

उपाबंध- II

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

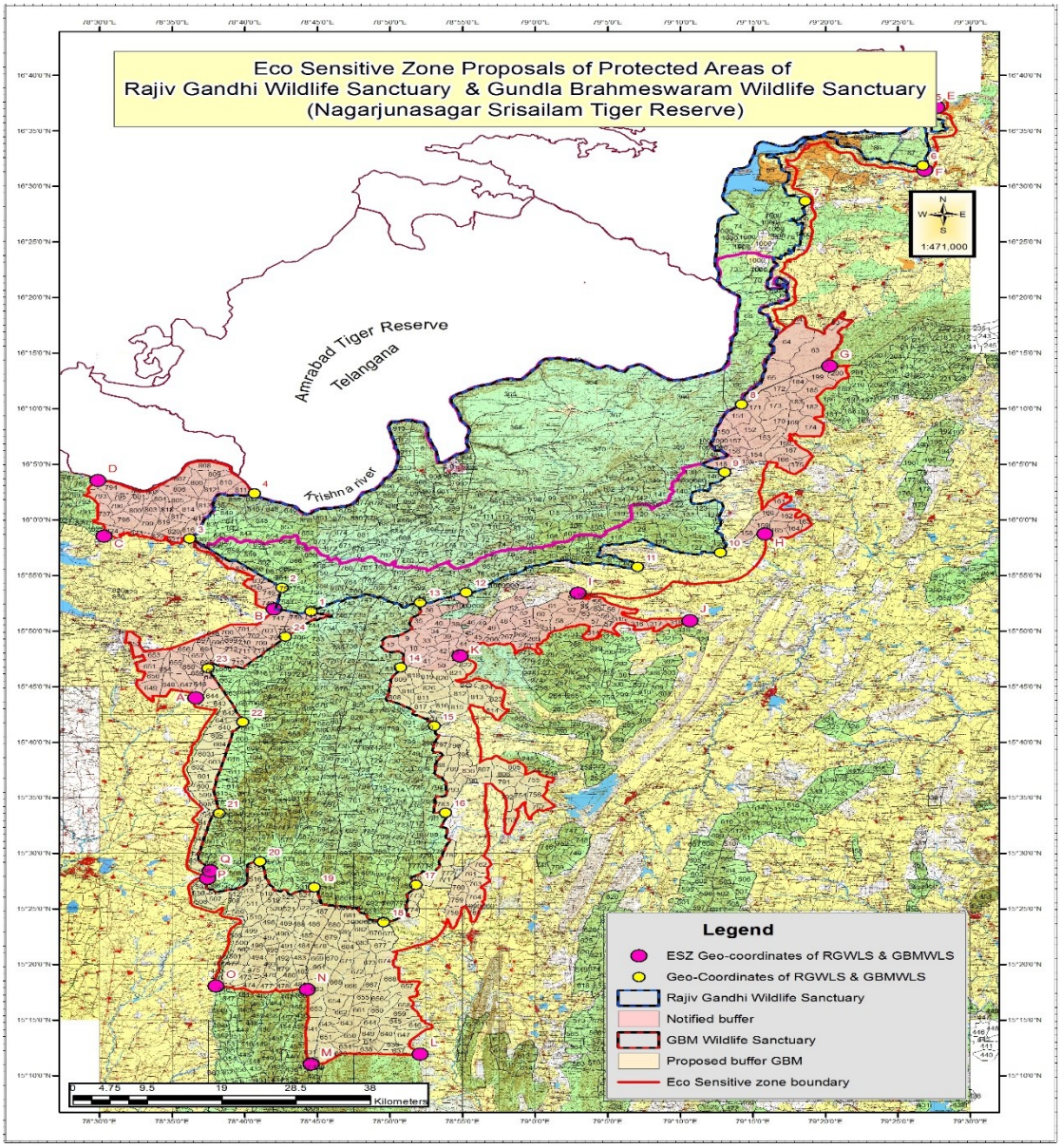

उपाबंध-III

सारणी क: नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	अभयारण्य
1	15.86300	78.74243	राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य
2	15.89830	78.70910	
3	15.97184	78.60298	
4	16.03997	78.67716	
5	16.62012	79.45007	
6	16.53153	79.44496	
7	16.47800	79.31000	
8	16.17320	79.23708	
9	16.07136	79.21732	
10	15.95114	79.21243	
11	15.92929	79.11756	
12	15.89127	78.92074	
13	15.87622	78.86808	
13	15.87622	78.86808	गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य
14	15.77900	78.84500	
15	15.69100	78.88400	
16	15.56100	78.89700	
17	15.45300	78.86300	
18	15.39700	78.82600	
19	15.44900	78.74600	
20	15.48800	78.68400	
21	15.56000	78.63700	
22	15.69700	78.66400	
23	15.77800	78.62400	
24	15.82500	78.71300	
1	15.86300	78.74243	

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	अभयारण्य
ए	15.73300	78.61000	राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य
बी	15.86642	78.69979	
सी	15.97570	78.50460	
डी	16.05913	78.49756	
ई	16.61847	79.46114	
एफ	16.52433	79.44743	
जी	16.23081	79.33778	
एच	15.97874	79.26384	
आई	15.88992	79.04887	
जे	15.84889	79.17745	
के	15.79700	78.91500	
के	15.79700	78.91500	गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य
एल	15.19865	78.86796	
एम	15.18359	78.74258	
एन	15.29578	78.73825	
ओ	15.30093	78.63349	
पी	15.46261	78.62339	
क्यू	15.47375	78.62659	
ए	15.73300	78.61000	

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिले के नाम	विभाग का नाम	मण्डल का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	कुरनूल	अटमाकुर	कोथापल्ली	1. पालेम चेरुवु	15.96580	78.59880
			अटमाकुर	2. कोट्टला चेरुवु	15.95360	78.61310
			-यथा-	3. इन्द्रेश्वरम गुडेम	15.92350	78.64290
			-यथा-	4. एस. एन. थांडा	15.86780	78.68700
			पमुलापाडु	5. कोथा बनाकाचेरला	15.80170	78.53570
			-यथा-	6. नटला कोथुरु	15.78610	78.54340
			वेलगोडु	7. सुगली थांडा	15.70850	78.63570
2	प्रकाशम	मरकापुर	वाई. पालेम	1. गुर्रापुसाला	15.95561	79.23162
			-यथा-	2. कोलुकुला	16.00963	79.22551
			-यथा-	3. चिन्ना कोलुकुला	15.99697	79.22386
			-यथा-	4. चेन्नारायुनिपल्ली	15.99064	79.21903
			-यथा-	5. वी. बी. पुरम	16.05672	79.25007
			-यथा-	6. एल्लारेड्डीपल्ली	16.06130	79.25724
			-यथा-	7. जी. वी. पल्ली	16.03864	79.20682
			डोरनाला	8. नल्लागुण्टला	15.86360	78.91930
			-यथा-	9. पी. मंथानाला	15.88140	78.89320
			-यथा-	10. वाई. चेरलोपल्ली	15.89390	78.96730
			-यथा-	11. चिलकाचेरला	15.89190	79.00440
			-यथा-	12. गन्टावनीपल्ली	15.91410	79.03760
			-यथा-	13. यादवाल्ली	15.90720	79.06930
			-यथा-	14. पेड्डा डोरनाला	15.90640	79.09510
			-यथा-	15. बोम्मलापुरम	15.94410	79.12840
			पेड्डा अरावेदु	16. टम्बादापल्ली	15.92900	79.18600
			-यथा-	17. सनीकावरम	15.90570	79.18290
			-यथा-	18. रगुमानुपल्ली	15.92630	79.24340
			-यथा-	19. मसीराजुकुन्ता	15.91160	79.22770
			-यथा-	20. गनगुपल्ली	15.93250	79.23020
			डोरनाला	21. पेड्डामानथानाला	15.88140	78.89320
			वेलडुरथी	1. डवुपल्ली थांडा	16.23683	79.29350
			-यथा-	2. बोटुकुलापाया	16.24025	79.26847
			-यथा-	3. रामालायम केन्द्र	16.29508	79.31067

3	गुंटुर	मरकापुर	-यथा-	4. वज़रालापाडु थांडा	16.28697	79.28517
			-यथा-	5. पपिरेड्डीकुन्ता थांडा	16.29764	79.29753
			-यथा-	6. हनुमापुरम थांडा	16.29669	79.29053
			-यथा-	7. रामाचंद्रापुरम	16.28436	79.29903
			-यथा-	8. गंगलाकुन्ता	16.29894	79.28889
			-यथा-	9. कंडलाकुन्ता	16.38610	79.29483
			-यथा-	10. गुडीपती चेरुवु	16.40406	79.29933
			-यथा-	11. रामाचंद्रापुरम थांडा	16.31689	79.26742
			-यथा-	12. मोरसापेन्टा ग्राम केन्द्र	16.35408	79.28103
			-यथा-	13. ज़ेन्दापेंटा ग्राम केन्द्र	16.37075	79.25133
			-यथा-	14. के. पी गुडेम बसस्टेण्ड केन्द्र	16.39780	79.25750
	गुंटुर	मरकापुर	मचेरला	15. भीरावुनीपाडु ग्राम	16.50235	79.39176
			-यथा-	16. टल्लापल्ली ग्राम	16.51210	79.39063
			-यथा-	17. 7 मैलु (वीरांजनेयापुरम)	16.53572	79.38235
			-यथा-	18. पसुवेमुला ग्राम	16.52077	79.36211
			-यथा-	19. नारायन रेड्डीपुरम	16.56817	79.41795
			-यथा-	20. इकोनामपेट	16.57421	79.38905
			-यथा-	21. अनुपु गेट	16.50360	79.28208
			-यथा-	22. चेन्चु कॉलोनी	16.50514	79.29403
			-यथा-	23. अनुपु चेन्चु कॉलोनी	16.50371	79.28757
			-यथा-	24. अनुपु	16.50384	79.28647
			-यथा-	25. चिन्ताला थांडा	16.52415	79.28915
			रेन्टाचीन्टाला	26. तुमुरुकोटा	16.55717	79.46027
			-यथा-	27. कोट्टागंगारजुपल्ली	16.57749	79.45113
			-यथा-	28. माल्लावरम	16.60145	79.47495
			-यथा-	29. पलवाई	16.50010	79.49014
			-यथा-	30. मटुकुमाल्ली	16.52026	79.47372
			-यथा-	31. गन्नावरम	16.52259	79.47292
			गिद्दालुर	1. दिगुवामेट्टा	15.39629	78.82556
			-यथा-	2. के.एस.पल्ली	15.37069	78.88324
			-यथा-	3. बयानापल्ली	15.36681	78.85905
			-यथा-	4. कन्चीपल्ली	15.36178	78.88292
			-यथा-	5. येल्लुपल्ली	15.42319	78.89159
			-यथा-	6. जयारामपुरम	15.42222	78.88580
			-यथा-	7. लक्ष्मीपुरम थांडा	15.44582	78.87895

4	प्रकाशम	गिद्दालुर	-यथा-	8. जयारामपुरम थांडा	15.43286	78.87523
			रचेला	9. जे. पी. चेरुवु	15.50104	78.92523
			-यथा-	10. चिनागनीपल्ली	15.52392	78.93881
			-यथा-	11. अरावीती कोटा	15.57821	78.92735
			-यथा-	12. कोथुर	15.58221	78.93594
			अरधावीदु	13. अंकाभुपालेम	15.67102	78.93642
			-यथा-	14. नारायमपल्ली	15.66710	78.95373
			-यथा-	15. पापीनेनीपल्ली	15.67786	78.93768
5	कुरनूल	नन्दयाल	बंदी अटमाकुर	1. नारायनपुरम	15.648565	78.590077
			-यथा-	2. जी. सी. पालेम	15.615124	78.585356
			-यथा-	3. मन्दीकोट्टागुदेम	15.618094	78.606628
			-यथा-	4. सोमायाजुलापल्ली	15.569371	78.583780
			-यथा-	5. कदमालाकालवा	15.529708	78.584928
			महानन्दी	6. वेंगालारेड्डीपेटा	15.525560	78.576271
			-यथा-	7. पुट्टुपल्ली	15.494284	78.575123
			-यथा-	8. महानन्दी	15.469411	78.628663
			-यथा-	9. श्रीनगरम	15.464247	78.599297
			-यथा-	10. गजुलापल्ली	15.403805	78.619835
			-यथा-	11. बसवापुरम	15.409053	78.631675
			सिरीवेल्ला	12. महादेवापुरम	15.389790	78.629755

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2020

S.O.653. (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve (NSTR) is located in the Nallamara hill ranges (offshoot of Eastern Ghats) of Andhra Pradesh. The total area of the Tiger Reserve with core and buffer is 3727.82 square kilometres spread over Prakasam, Kurnool and Guntur Districts of Andhra Pradesh. Two Wildlife Sanctuaries namely, Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary (GBM) constitutes the area of Tiger Reserve. After state bifurcation, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve has also divided into two halves separated by river Krishna. The southern side of river is Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh and the northern side is Amrabad Tiger Reserve in Telangana state. The Eco-sensitive Zone for Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve of Andhra Pradesh is proposing in this notification;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve (NSTR), in the Nallamara Ranges of southern Eastern Ghats in Andhra Pradesh is an abode for biodiversity, endangered flora and its associated

fauna. This Tiger Reserve epitomizes typical physical and biological features of Deccan plateau (6D, 6E). Most of the Tiger Reserve is hilly with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous forests with an under growth of bamboo and grass. Two sanctuaries *viz,* Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Sanctuary form the Tiger Reserve. The final Notification has been issued for Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary *vide* section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* G.o. Ms. No. 84 EFS&T (For-III) dept, dated 27th June, 1998. The final Notification for Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary was issued *vide* section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* G.O.Ms. No.81, EFS&T (For-III), dated 27th June, 1998;

AND WHEREAS, the National Board for wildlife has taken decision for declaration of Eco-sensitive Zones around National Parks and Wildlife Sanctuaries. The Government of Andhra Pradesh have issued instructions to identify Eco-sensitive Zones around the protected Areas in consultation with the line departments under the chairmanship of concerned District Collectors keeping in view the safety, security of Wildlife in its natural environment within the Sanctuary and the river hood opportunities of the tribals and others, and other development activities outside *vide* Govt. of A.P. Memo No. 11747/For- 11(2)12006, EFS&T (For-III) Dept, dated 13th March, 2012. Accordingly meetings were convened by the District collectors & District Magistrates of Kurnool, Prakasam and Guntur Districts for declaration of Eco-sensitive Zone all round the Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and buffer area of the Sanctuary. The following issues were also discussed during the meetings;

AND WHEREAS, it was discussed in the meetings that the Buffer Zone area acts as a good shock absorber for the Tiger Reserve and support wildlife that disperse out from the core area. In order to provide better protection to the Tiger Reserve and to minimize the pressure on the core area and to provide additional protection Eco-sensitive Zone has been proposed all around the Tiger Reserve. Wherever there are no "Reserve Forests" adjoining the Tiger Reserve revenue lands have been proposed as Eco-sensitive Zone. Hence, there is a need of Eco-Sensitive Zone around the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve is falling in four Forest Divisions *viz,* Atmakur, Markapur, Giddarur and Nandyal Wildlife Divisions. Some parts of the Eco-sensitive zone of NSTR are agricultural fields. These agricultural lands are patta lands in general and are legally enjoyed by the occupants. The main agricultural crops are maize, groundnut, sunflower, chillies, cotton, paddy etc. The agricultural fields located in the Eco-sensitive Zone are frequented by the herbivores like deer and wild boar and carnivores follow in search of these animals. On declare of this area as Eco-sensitive Zone, there will be additional protection to the Wildlife and its habitat. Livelihood activities of the villagers especially farmers, whose lands are falling in the Eco-sensitive Zone will not be affected as there are no restrictions for the ongoing agricultural practices and other traditional livelihood activities in the revenue lands outside the forest area;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve is a repository of biodiversity with varied flora and fauna in Deccan plateau of peninsurlar India. The topography of the Tiger Reserve enables the occurrence of varied micro & macro habitats to shelter variety of wild animals;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve epitomizes a typical Deccan plateau (6D, 6E) species of flora and fauna. The Sanctuaries are characterized by hilly terrain with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous and moist deciduous forests with an under growth of bamboo and grass. The protected area is endowed with a rich floral diversity comprising of trees, shrubs, herbs and climbers. Around 1521 angiosperm taxa of 149 families and 29 species of grass along with 353 species of medicinal plants have been documented. The most predominant trees found here are *Terminalia tomentosa, Anogeissus latifolia, Chloroxylon swietenia, Hardwickia binata, Pterocarpus marsupium, Lannea grandis, Boswellia serrata, Dalbergia paniculata, Zizyphus xylopyrus, Lagerstroemia parviflora, Terminalia arjuna,* etc., There are certain endemic plants found only in Nallamalais like *Andrographis nallamalayana, Eriolaena lushingtonii, Crotalaria madurensis* var. kurnoolia*, Dicliptera beddomei* and *Premna hamiltonii,* etc;

AND WHEREAS, Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary support a wide variety of animals, birds, insects, reptiles and amphibians. The protected areas are the home to many charismatic animals like tiger, leopard, sloth bear, wild dog, jackal, ratel, porcupine, giant squirrel, mouse deer, four horned antelope, sambar, spotted deer, nilgai and wild boar. The faunal species documented in this Tiger Reserve are 50 species of mammal, 200 species of birds, 54 species of reptiles, 18 species of amphibians,

5 species of fishes, 84 species of butterflies, 57 species of moths, 45 species of coleopteran beetles, 30 species of damselflies, etc. The presence of wide variety of animals, birds, reptiles, amphibians, insects in the Tiger Reserve is a testimony to the bio-diversity of this landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 5 kilometres around the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, in Kurnool, Prakasam and Guntur districts in the State of Andhra Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 5.0 kilometres around the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 2149.68 square kilometres. *(Zero extent of Eco-sensitive zone is due to Krishna River and interstate boundary with Telangana).*

   (2) The boundary description of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

   (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Tourism;
   (iv) Tribal Welfare;
   (v) Agriculture;
   (vi) Irrigation and Flood Control;
   (vii) Panchayati Raj;
   (viii) Revenue;
   (ix) Rural and Urban Development;
   (x) Industries;
   (xi) Municipal;
   (xii) APTRANSCO;
   (xiii) Andhra Pradesh State Pollution Control Board; and
   (xiv) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale	Regulated (except otherwise provided) as per the

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of explosives for development activities.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, concerned District	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Environmental Engineer, Concerned District, A.P. State Pollution Control Board	Member;

(iv)	Project Officer, Concerned ITDA	Member;
(v)	Superintending Engineer, R&B, Concerned District	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity and Ecology nominated by the State Government	Member;
(vii)	Assistant Director, Mines and Geology of concerned District	Member;
(viii)	Joint Director, Agriculture, concerned District	Member;
(ix)	District Tourism Officer, concerned District	Member;
(x)	General Manager, District Industries Centre, concerned District.	Member;
(xi)	District Wildlife Warden, Concerned Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/86/2015-ESZ-RE]

DR SATISH C. GARKOTI Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE ANDHRA PRADESH

(A to D):-The eco sensitive zone starts from station 'A' (south west corner of comp. 644) in Velgode RF of Velgode Range as shown in the map. The GPS co-ordinates of station A is 15.73300N, 78.61000E and the eco sensitive zone runs in western direction along the southern boundary of Compartment Nos. 646, 647, 648, 649 in Velgode RF of Velgode range and reaches south west corner of compartment No 649. Then the line runs towards north west direction in zig-zag manner along the western boundary of compartment Nos. 649, 650, 651, 653 and 652 in Velgode RF of Velgode Range till it reaches the northern corner of compartment 652 and further proceeds towards south and eastern directions in a zig–zag manner with a width of 100 Mts. along the northern boundary of compartment Nos. 653, 656 of Velgode Range and Compt. Nos. 697, 698, 700, 701 of Bairluty Range. Thence it moves in north east direction along the western boundary of compartment No.747 and meets point 'B' on Kurnool-Guntur road at the north–west corner of compartment No.747. GPS co-ordinates of Station 'B' is 15.86642 N, 78.69979E.

Thence the boundary line runs towards north – west direction in a Zig-Zag manner with a width of 100 Mts outside R.F boundary of Guvvalakunta 'C' R.F of Nagaluty Range along the western boundary of compartment Nos.748, 749, 750, 832, 833, 834, 835 and meets the Northern corner of Compartment No. 835. Thence the boundary line runs towards Western direction in Zig – Zag manner with a width of 100 Mts from the notified buffer of NSTR and along the Southern boundary of Compartment Nos. 816, 821, 822, 823, 824 and meets Station 'C' as shown on map which is on the south west corner of Compartment No.824, Guvvalakuntla-B RF, Atmakur Range. The GPS co-ordinates of Station 'C' is 15.97570N, 78.50460E.

Thence the boundary runs in northern direction in zig zag manner along the western boundary of compartment Nos.824, 797, 793, 794 in Nandikotkur RF of Atmakur Range and reaches point 'D' as shown in the map which is on the northwest corner of compartment No.794. The GPS reading of station 'D' is 16.05913N, 78.49756E.

(D to E):-The Eco sensitive zone boundary from D to E runs along the central line (Mid line) of river Krishna which is inter State boundary between Andhra Pradesh & Telangana i.e., the boundary between Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, Andhra Pradesh on the southern side and Amrabad Tiger Reserve of Telangana State on the northern side of river Krishna.

The Eco sensitive zone boundary moves along mid of River Krishna from point 'D' in zig-zag manner in Srisailam, G.V Palli and V.P South Ranges and touches the Nagarjunasagar reservoir and further proceeds in north eastern direction along the mid of river Krishna till it reaches point 'E' i.e., one Km from the northern part of compartment No.88 of Tummarkota RF of V.P South Range. The GPS coordinates of station 'E' is 16.61847N, 79.46114E.

(E to G): Thence the Eco-Sensitive Zone boundary line runs from point E towards southern direction in zig–zag manner with a width of '1'Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary and along the eastern boundary of compartment No.88, then turns towards west and further south and moves at a distance of 1 km from the eastern boundary of Compartment No.87 and meets station 'F' as shown in the map. The GPS coordinates of station 'F' is 16.52433N, 79.44743E.

Thence the eco sensitive zone runs from point F towards Western direction in a zig–zag manner with a width of '1' Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary south of compartment Nos.87, 86 and 85. Then turns towards south west 1km from the north east corner of compartment No.83 of Pasuvemula RF, V.P South Range.

Thence the eco-sensitive zone boundary line runs towards south and moves in a zig–zag manner with a width of '1' Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary on the east of compartment Nos.83, 77, 75, 70 and 69 of Kandlagunta RF and compartment Nos.68 and 67 of Gangulagunta RF of V.P South Range till it touches the western boundary of compartment No.64. Then it turns towards north east, passes along the western boundary of compartment No.64 which is notified buffer of NSTR. Thence it turns south and moves in various directions along the north west boundary of compartment No.64, western, northern and eastern boundaries of compartment No.63 and meets station 'G' which is located on District boundary of Guntur and Prakasam Districts as depicted in the map. The GPS coordinates of station 'G' is 16.23081N, 79.33778E.

(G to I): Thence the eco-sensitive zone boundary line starts from station 'G' in Markapur Division of Prakasam District and runs towards Southern direction in zig–zag manner along the notified buffer of NSTR and

the eastern boundary of compartment Nos.200, 199, 185, 182 of Markapur RF compartment Nos. 174, 169 of ENB-XI RF, compartment 168, 167, 175 of EN Block X RF in Y.Palem Range and turns towards south and moves along the southern boundary of compartment Nos.175 and 166. Thence the boundary line runs towards south and moves in a zig zag manner with a width of '5' Kms from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary and touches the point on the western boundary of compartment No.160 of Y.Palem RF in Y.Palem Range. Thence it moves in north east direction along the notified buffer touching the western boundary of compartment Nos.160 and 161 and moves towards south east direction in zig-zag manner along the boundaries of compartment Nos.162 and 163, turns towards west and moves along boundary of compartment Nos.164, 165 and 159 of Y.Palem RF and reaches point 'H' on the south west corner of compartment No.159 of notified buffer. The GPS coordinates of 'H' is 15.97874 N, 79.26384E.

From point 'H', the eco- sensitive zone boundary runs 5 kms from the Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary in the revenue lands till it reaches the boundary of notified buffer at point "I' as indicated in the map. GPS coordinates of point 'I' is 15.88992 N, 79.04887E

(I to K): Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'I' in eastern direction along the northern boundary of compartment No.54 in Cumbum R.F. of Dornal Range and moves further towards eastern direction in zig–zag manner along the northern boundary of compartment No. 55 and 56 in Cumbum RF of Dornal Range and Compartment Nos.315,316,317 & 318 in ENB V RF of Markapur Range and meets the point 'J' on the north east corner of compt no 318. The GPS coordinates of point 'J' is 15.84889 N, 79.17745E.

Thence, the eco sensitive zone boundary runs towards south and moves along the eastern boundary of Compartment No 318 in ENB V of Markapur Range, turns west and moves in a zig-zag manner along the southern boundary of Compartment Nos 318, 317, 316 and 315 of ENB V RF of Markapur Range and further runs along the southern boundary of compartment Nos.314 and 57 in ENB VI B RF and comp No. 58 in Cumbum RF of Dornal range passing along the notified buffer of Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. Further, the eco sensitive zone runs along the boundary of notified buffer towards South – West direction along the Eastern boundary of compartment No. 311, 269 & 270 in Cumbum R.F. and moves along the western boundary of compartment No.270 in Cumbum RF, southern boundary of compartment Nos. 267 and 266 in Cumbum R.F. of Markapur Range and runs towards south–west direction along the eastern boundary of compartment Nos.45, 44, 43 in Cumbum R.F of Dornal Range and meets point 'K'. The GPS coordinates of station 'K' is 15.79700N, 78.91500E, where the eco sensitive zone of Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary meets the boundary of proposed buffer of Gundla Brahmeswaram Wildlife sanctuary as depicted in the map.

(K to L) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'K' along the proposed buffer boundary of GBM in south-eastern direction along the eastern boundary of compartment No.822 and southern boundary of Compt. No.821 of Cumbum R.F. of Giddalur Division and moves further towards northern boundary of Compt. No.825, 824 and eastern boundary of Compt. No.823, 814 of ENB-III of Turimella Range of Giddalur Division. Then the Eco-sensitive zone boundary line runs in southern direction and meets the proposed buffer boundary of GBM at Northern boundary of Compt. No.807 with a distance of 5 Kms from notified GBM Sanctuary boundary. Then the boundary line runs along the proposed buffer boundary in eastern direction along the Northern boundary of Compt. No.805, 755 and runs in southern direction along the eastern boundaries of Compt. No.756, 757 of ENB-II RF. Then the boundary line runs in South west direction along the southern boundary of Compt. No.757 of ENB-II RF and also western boundary of Compt. No.757 of ENB-II RF and touches the southern boundary of Compt.No.754 of ENB-II RF and runs towards southern direction along eastern boundary of Compt. No.753 of ENB-II RF. Thence it turns towards northerly direction and moves along the Western boundary of compt. No.753 of ENB-II RF, 792 of Ambavaram RF, 791 of ENB-II RF. Thence the line runs towards western direction and meets the southern boundary of Compt. No.790. Then the boundary line runs in southern direction and touches the Compt. No.762 with a distance of 5 Kms from the GBM Sanctuary boundary. Then the boundary line runs towards southern direction along the proposed buffer boundary of GBM and also eastern boundary of Compt. No.762, 761,763,764, 765 , 759 and up to Compt. No.758 of Ambavaram RF of Giddalur Division. Then the boundary line runs in south westerly direction and touches the eastern boundary of Compt. No.674 with a distance of 5 Kms from the GBM Sanctuary. Then the boundary line runs in zig-zag manner in southern direction along the proposed buffer boundary of GBM and also along the eastern boundary of Compt. No.668, 657, 658, 659, 645, 646, 647 of Uyyalawada Extn. RF, Compt. No. 636 and 637 of Uyyalawada RF of Giddalur Range of Giddalur Division and meets the point 'L'. The GPS coordinates of point 'L' is 15.19865 N, 78.86796E.

(L to M) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'L' along the proposed buffer boundary of GBM in western direction along the southern boundary of Compt. No.637,638, 634, 633 and meets at

south west corner point of Compt. No.632 and meets the point 'M'. The GPS coordinates of point 'M' is 15.18359 N, 78.74258 E.

(M to N) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'M' along the proposed buffer boundary of GBM in northern direction along the western boundary of Compt. No.631,641, 653 and 663 of Uyyalawada RF of Giddalur Range of Giddalur Division and meets the point 'N'. The GPS coordinates of point 'N' is 15.29578 N, 78.73825 E.

(N to O) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'N' along the proposed buffer boundary of GBM in western direction along the southern boundary of Compt. No.481, 478, 477, 474, 470 of Sirivel RF of Chalama Range of Nandyal Division and meets the point 'O'. The GPS coordinates of point 'O' is 15.30093 N, 78.63349 E.

(O to P) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'O' along the proposed buffer boundary of GBM in northern direction in zig-zag manner along the western boundary of Compt. No.470, 471, 472 of Sirivel RF and compt. No.503, 504 and 505 of Sirivel Extn. RF and then southern boundary of Compt. No.509 and then western boundary of compt. No.508 of Nandyal RF and then eastern boundary of Compt. No.507, 506 of Nandyal RF and then southern boundary of Compt. No.506. Then the boundary line runs towards northerly direction along the western boundary of Compt. No.506, 536, 537 and meets the point 'P' which is north west corner of Compt. No.566. The GPS coordinates of point 'P' is 15.46261 N, 78.62339 E.

(P to Q): Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'P' north-western and south west direction in a small distance with a width of '5' mts along the western boundary of Compt. No.565 of Nandyal Range (Mahanandi Temple area) and meets the point 'Q'. The GPS coordinates of point 'Q' is 15.47375 N, 78.62659 E.

(Q to A) : Then the eco sensitive zone boundary line runs from point 'Q' along the proposed buffer boundary of GBM in north west direction with a width of 500 Mts along the southern boundary of Compt. No.538 and 539 of Nandyal Extn. – II RF of Nandyal Range. Then the boundary line runs in zig-zag manner along the proposed buffer boundary of GBM with a width of 500 mts along the western boundary of Compt. No. 539 and 540 of Nandyal Range and 541, 542, 598, 599, 600, 601, 602, 603A, 604 and 605 of Bandi Atmakur Range of Nandyal Division (which is also junction point of Nandyal and Atmakur Divisions). Then the boundary line runs towards northern direction along the proposed buffer boundary of GBM to a width of 500 Mts. along the western boundary of Compt. No.640, 641, 642 and turns in western direction and runs along the southern boundary of Compt. No.643 and meets the point 'A' which is starting point as shown in the map.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

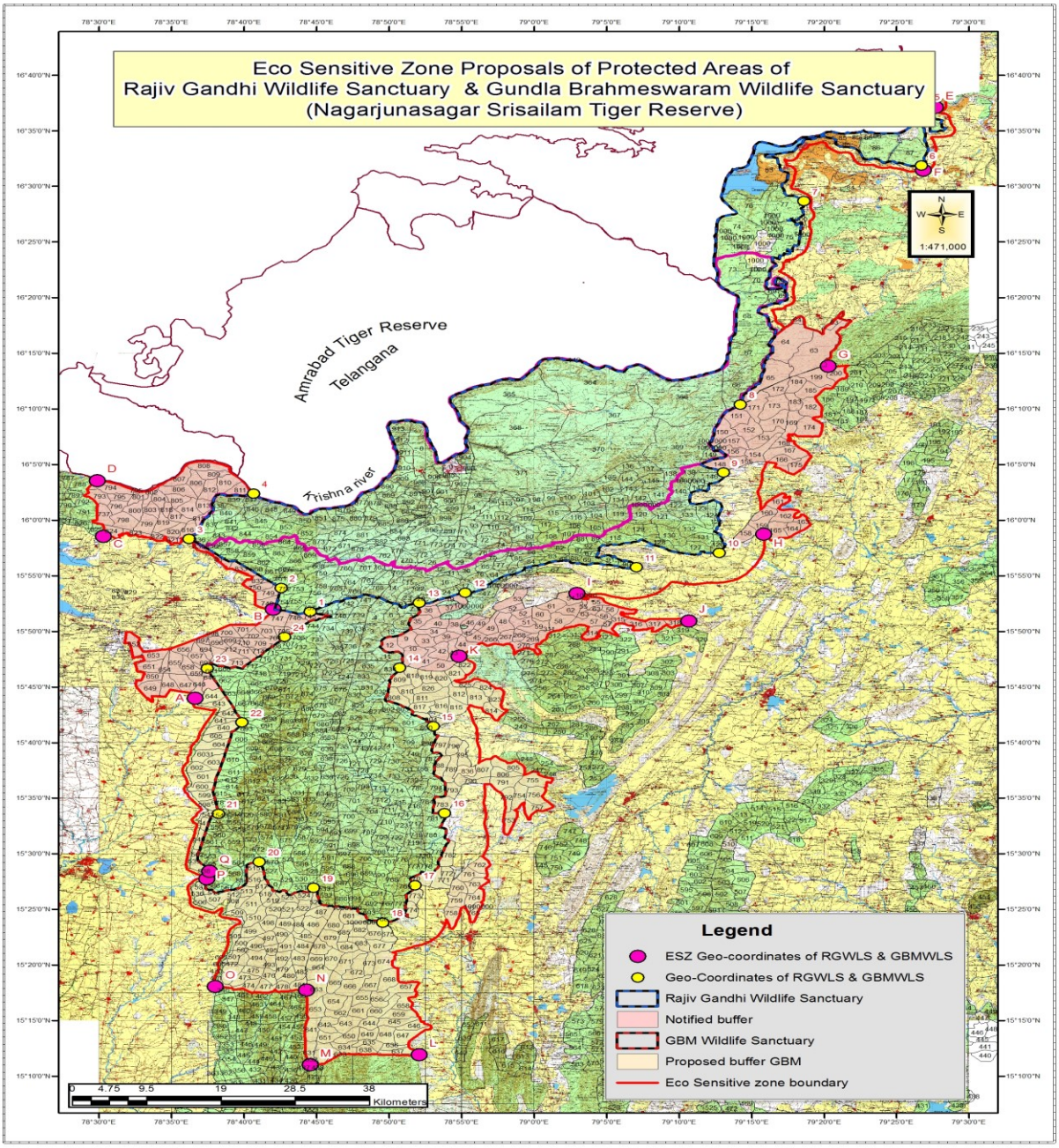

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE

Station	Latitude (N)	Longitude (E)	Sanctuary
1	15.86300	78.74243	Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary
2	15.89830	78.70910	
3	15.97184	78.60298	
4	16.03997	78.67716	
5	16.62012	79.45007	
6	16.53153	79.44496	
7	16.47800	79.31000	
8	16.17320	79.23708	
9	16.07136	79.21732	
10	15.95114	79.21243	
11	15.92929	79.11756	
12	15.89127	78.92074	
13	15.87622	78.86808	
13	15.87622	78.86808	Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary
14	15.77900	78.84500	
15	15.69100	78.88400	
16	15.56100	78.89700	
17	15.45300	78.86300	
18	15.39700	78.82600	
19	15.44900	78.74600	
20	15.48800	78.68400	
21	15.56000	78.63700	
22	15.69700	78.66400	
23	15.77800	78.62400	
24	15.82500	78.71300	
1	15.86300	78.74243	

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Station	Latitude (N)	Longitude (E)	Sanctuary
A	15.73300	78.61000	Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary
B	15.86642	78.69979	
C	15.97570	78.50460	
D	16.05913	78.49756	
E	16.61847	79.46114	
F	16.52433	79.44743	
G	16.23081	79.33778	

H	15.97874	79.26384	
I	15.88992	79.04887	
J	15.84889	79.17745	
K	15.79700	78.91500	
K	15.79700	78.91500	Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary
L	15.19865	78.86796	
M	15.18359	78.74258	
N	15.29578	78.73825	
O	15.30093	78.63349	
P	15.46261	78.62339	
Q	15.47375	78.62659	
A	15.73300	78.61000	

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Name of the District	Name of the Division	Name of the Mandal	Name of the Village	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Kurnool	Atmakur	Kothapalli	1. Palem Cheruvu	15.96580	78.59880
			Atmakur	2. Kottala Cheruvu	15.95360	78.61310
			-do-	3. Indireswaram Gudem	15.92350	78.64290
			-do-	4. S.N.Thanda	15.86780	78.68700
			Pamulapadu	5. Kotha Banakacherla	15.80170	78.53570
			-do-	6. Natla kothuru	15.78610	78.54340
			Velgodu	7. Sugali thanda	15.70850	78.63570
2	Prakasam	Markapur	Y.Palem	1. Gurrapusala	15.95561	79.23162
			-do-	2. Kolukula	16.00963	79.22551
			-do-	3. Chinna Kolukula	15.99697	79.22386
			-do-	4. Chennarayunipalli	15.99064	79.21903
			-do-	5. V.B.Puram	16.05672	79.25007
			-do-	6. Ellareddypalli	16.06130	79.25724
			-do-	7. G.V.Palli	16.03864	79.20682
			Dornala	8. Nallaguntla	15.86360	78.91930
			-do-	9. P.Manthanala	15.88140	78.89320
			-do-	10. Y.Cherlopalli	15.89390	78.96730
			-do-	11. Chilakacherla	15.89190	79.00440
			-do-	12. Gantavanipalli	15.91410	79.03760
			-do-	13. Yadavalli	15.90720	79.06930
			-do-	14. Pedda Dornala	15.90640	79.09510
			-do-	15. Bommalapuram	15.94410	79.12840
			Pedda Araveedu	16. Tambadapalli	15.92900	79.18600
			-do-	17. Sanikavaram	15.90570	79.18290

			-do-	18. Ragumanupalli	15.92630	79.24340
			-do-	19. Masirajukunta	15.91160	79.22770
			-do-	20. Gangupalli	15.93250	79.23020
			Dornala	21. Peddamanthanala	15.88140	78.89320
3	Guntur	Markapur	Veldurthy	1. Davupalli thanda	16.23683	79.29350
			-do-	2. Botukulapaya	16.24025	79.26847
			-do-	3. Ramalayam Center	16.29508	79.31067
			-do-	4. Vazralapadu thanda	16.28697	79.28517
			-do-	5. Papireddykunta thanda	16.29764	79.29753
			-do-	6. Hanumapuram thanda	16.29669	79.29053
			-do-	7. Ramachandrapuram	16.28436	79.29903
			-do-	8. Gangalakunta	16.29894	79.28889
			-do-	9. Kandlakunta	16.38610	79.29483
			-do-	10. Gudipati Cheruvu	16.40406	79.29933
			-do-	11. Ramachandrapuram Thanda	16.31689	79.26742
			-do-	12. Morasapenta Village Center	16.35408	79.28103
			-do-	13. Zendapenta Village Center	16.37075	79.25133
			-do-	14. K.P Gudem Busstand Center	16.39780	79.25750
	Guntur	Markapur	Macherla	15. Bhiravunipadu Village	16.50235	79.39176
			-do-	16. Tallapalli Village	16.51210	79.39063
			-do-	17. 7th Mailu (Veeranjaneyapuram)	16.53572	79.38235
			-do-	18. Pasuvemula Village	16.52077	79.36211
			-do-	19. Narayana reddypuram	16.56817	79.41795
			-do-	20. Econampet	16.57421	79.38905
			-do-	21. Anupu gate	16.50360	79.28208
			-do-	22. Chenchu Colony	16.50514	79.29403
			-do-	23. Anupu Chenchu Colony	16.50371	79.28757
			-do-	24. Anupu	16.50384	79.28647
			-do-	25. Chintala thanda	16.52415	79.28915
			Rentachintala	26. Tumurukota	16.55717	79.46027
			-do-	27. Kottagangarjupalli	16.57749	79.45113
			-do-	28. Mallavaram	16.60145	79.47495
			-do-	29. Palvai	16.50010	79.49014
			-do-	30. Matukumalli	16.52026	79.47372
			-do-	31. Gannavaram	16.52259	79.47292
4	Prakasam	Giddalur	Giddalur	1. Diguvametta	15.39629	78.82556
			-do-	2. K.S.Palli	15.37069	78.88324
			-do-	3. Bayanapalli	15.36681	78.85905
			-do-	4. Kanchipalli	15.36178	78.88292
			-do-	5. Yellupalli	15.42319	78.89159

			-do-	6. Jayarampuram	15.42222	78.88580
			-do-	7. Lakshmipuram Thanda	15.44582	78.87895
			-do-	8. Jayarampuram Thanda	15.43286	78.87523
			Racherla	9. J.P.Cheruvu	15.50104	78.92523
			-do-	10. Chinaganipalli	15.52392	78.93881
			-do-	11. Araveeti Kota	15.57821	78.92735
			-do-	12. Kothur	15.58221	78.93594
			Ardhaveedu	13. Ankabhupalem	15.67102	78.93642
			-do-	14. Narayanapalli	15.66710	78.95373
			-do-	15. Papinenipalli	15.67786	78.93768
5	Kurnool	Nandyal	Bandi Atmakur	1. Narayanapuram	15.648565	78.590077
			-do-	2. G.C.Palem	15.615124	78.585356
			-do-	3. Mandikottagudem	15.618094	78.606628
			-do-	4. Somayajulapalli	15.569371	78.583780
			-do-	5. Kadamalakalva	15.529708	78.584928
			Mahanandi	6. Vengalareddypeta	15.525560	78.576271
			-do-	7. Puttupalli	15.494284	78.575123
			-do-	8. Mahanandi	15.469411	78.628663
			-do-	9. Srinagaram	15.464247	78.599297
			-do-	10. Gajulapalli	15.403805	78.619835
			-do-	11. Basavapuram	15.409053	78.631675
			Sirivella	12. Mahadevapuram	15.389790	78.629755

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.13 22:17:07 +05'30'